स्पीडपोस्ट

प्रेषक

मण्डलायुक्त,
गोरखपुर।

सेवा में,

सयुक्त सचिव,
उत्तर प्रदेश शासन,
शिक्षा अनुभाग–7,
लखनऊ।

संख्याः /सत्ताईस–43(2008–09) दिनाक 7 मई, 2010

विषयः **प्रदेश स्थित माध्यमिक शिक्षण संस्थाओं को कौसिल फार दि इण्डियन स्कूल सर्टीफिकेट इक्जामिनेशन, नई दिल्ली/सेन्ट्रल बोर्ड आफ सेकेण्डरी एजुकेशन नई दिल्ली से सम्बद्धता हेतु अनापत्ति प्रमाण पत्र दिये जाने के सम्बन्ध में मण्डलायुक्त की अध्यक्षता में गठित समिति की बैठक दिनाक 05.05.2010 में लिये गये निर्णय की सूचना।**

महोदय,

कृपया उपर्युक्त विषयक शासनादेश संख्याः 1916/15–7–09–1(299)/2007 दिनाक 14 जुलाई, 2009 के प्रस्तर – 5 द्वारा गठित मण्डलीय समिति की बैठक दिनाक 05.05.2010 को सम्पन्न हुई, जिसमें **सेन्ट जेवियर्स स्कूल, सलेमपुर, देवरिया** को अनापत्ति प्रमाण पत्र प्रदान करने पर विचार विमर्श किया गया।

शासनादेश संख्याः 2762/15–13–91–41461/91 दिनाक 30 नवम्बर, 1991 में निर्धारित प्रक्रिया के अनुरूप विद्यालय के प्रबन्धक द्वारा प्रस्तुत अभिलेखों एवं निर्धारित बिन्दुओं पर उप जिलाधिकारी, सलेमपुर, जिला देवरिया से विद्यालय की जांच करायी गयी। उप जिलाधिकारी, सलेमपुर की जांच आख्या दिनाक 16.04.2010 के आधार पर मण्डलीय समिति द्वारा **सेन्ट जेवियर्स** स्कूल, सलेमपुर, देवरिया को सेन्ट्रल बोर्ड आफ सेकेण्डरी एजुकेशन नई दिल्ली से सम्बद्धता हेतु अनापत्ति प्रमाण पत्र दिये जाने के सम्बन्ध में सहर्ष सहमति प्रदान कर दी गयी है। मण्डलीय समिति की बैठक दिनाक 05.05.2010 का कार्यवृत्त संलग्न है।

कृपया तदनुसार अग्रेतर कार्यवाही सुनिश्चित करने का कष्ट करें।

संलग्नक–यथोक्त।

भवदीय,

(पी०के०महान्ति)
मण्डलायुक्त।